नगर परिषद देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 1–4–2013 से 31–3–2015

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1–4–2013 से 31–3–2015 के लेखाओ का अंकेक्षण किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित अध्यक्ष व सचिव कार्यरत रहे :–

(1) <u>अध्यक्ष</u>

क्रमांक	नाम	अवधि
1)	श्रीमती सुनीता कुमारी	1–4–2013 से 31–3–2015

(2) <u>सचिव/कार्यकारी अधिकारी</u>

क्रमांक	नाम	अवधि
1)	श्री किशोरी लाल ठाकुर	1–4–2013 से 5–1–2014
2)	श्री महेश दत्त शर्मा	6–1–2014 से 31–3–2015

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :–

नगर परिषद देहरा के लेखाओं अवधि 1–4–2013 से 31–3–2015 तक के अंकेक्षण व निरीक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि₹ (लाखों में)
1)	दिनांक 31.3.15 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	5	104.15
2)	अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित उपायोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	5.2	158.82
3)	दिनांक 31.3.15 को गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	6	11.81
4)	सरकार द्वारा निर्धारित दरों व राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृह कर की दरों को अधिरोपित न करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि	6.1	1.90

5)	दिनांक 31.3.15 तक दुकानों के किराय की राशि वसूली हेतु शेष	7	20.61
6)	दिनांक 31.3.15 तक व्यवसायिक कर की राशि वसूली हेतु शेष	8	1.82
7)	बस अड्डा किराया ठेका वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 में गत वर्षों की अपेक्षा कम दरों पर देने के कारण नगर परिषद को वित्तीय हानि	9	3.60
8)	वेतन एवं भत्तों की राशि का अनियमित एवं अनुचित भुगतान	10	0.56
9)	आयकर की धारा 194(सी) के अनुरूप आपूर्तिकर्त्ताओं के बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती न करना	11	0.19
10)	अरोग्य मैडिकल स्टोर के दुकानदार श्री सुरेन्द्र मोहन सूद से किराए के रूप में वसूली न करना	12	8.48
11)	निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की कम कटौती	13	0.41
12)	निर्माण कार्यों बिलों से श्रमकर की कटौती न करना	14	0.41
13)	श्री ओम प्रकाश, सफाई कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धियाँ गलत तरीके से लगाना व मूल वेतन का गलत निर्धारण उपरान्त वेतन एवं भत्तों के रूप में गलत एवं अधिक भुगतान	18	0.19
14)	श्री ओम प्रकाश, सफाई कर्मचारी को वेतन एवं भतों के रूप में अधिक भुगतान	19	0.06
15)	दुकानों के किराये में वृद्धि न करने के कारण कम वसूली	23	0.09
16)	स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय करना	24	27.84
17)	ब्याज की हानि	25	0.14
18)	दिनांक 31.3.15 को अग्रिम राशियां समायोजन हेतु शेष	27	4.25
19)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना सामान को क्रय करने बारे	28	0.83
20)	स्ट्रीट लाईट के बिलों की दिनांक 31.3.15 तक भुगतान योग्य राशि	33	21.46

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप गम्भीर प्रकृति के पैरों व अन्य पेरों का कई वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी समायोजन/निपटारा सम्भव नहीं हो सका। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि नगर परिषद अधिकारियों को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के पैरों और विशेषकर अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियों से सम्बन्धित पैरों के निपटारे हेतु समयबद्ध ढंग से अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु उचित निर्देश जारी करें ताकि

गत कई वर्षों से अनिर्णीत अनुच्छेदों का समायोजन हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मलित अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट–''क''** पर दी गई है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद देहरा, जिला कांगड़ा के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2015 तक का अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी, व श्री सुशील कुमार, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 29.6.2015 से 23–7–2015 तक नगर परिषद देहरा में किया गया। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया। जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

आय	व्यय
7/2013	2/2014
8/2014	2/2015

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद देहरा द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद देहरा के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2015 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹32,400/– आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 440, दिनांक 23.7.2015 द्वारा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया है। अंकेक्षण शुल्क का विवरण **परिशिष्ट–''ख–IV''** पर उल्लेखित है।

4 वित्तीय स्थिति

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 1–4–2013 से 31–3–2015 की स्वः स्त्रोतों व अनुदानों से प्राप्त आय व व्यय की वित्तीय स्थिति का विवरण संलग्न **(परिशिष्ट–ख)** के आधार पर निम्नानुसार है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	56,86,186	1,25,00,244	1,81,86,430	1,12,09,138	69,77,292
2014–15	69,77,292	1,90,06,567	2,59,83,859	1,54,53,704	1,05,30,155

4.2 बैंक समाधान विवरणी :–

Bank Reconciliation as on 31-3-2015

Closing Balance as per cash Book as on 31-3-2015	**1,05,30,155.00**
ADD: (+) Cheque Issued but not yet presented for payment	(+)2,60,332.00
Less: (-) Income of 31-3-2015 sent to bank but Credit not given by bank	(-)2,61,166.00
Balance as per pass book as on 31-3-2015	**1,05,29,321.05**

(1) Detail of Bank balance as on 31-3-2015

1	A/C 30808965287	SBI	70,73,826.61
2	A/c 406700010267902	PNB	15,27,655.90
3	A/C 20008033700	KCCB	11,75,344.50
4	A/C 20008034567	KCCB	6,15,749.00
5	A/C 87860100033060	HGB	1,05,471.00
6	A/C 8786010004460	HGB	31,274.04
			1,05,29,321.05

(2) List of un cashed cheques

134342	KCCB	A/C 20008033700	15-1-2014	80000
782923	PNB	A/C 267902	1-12-2014	140
782943	PNB	A/C 267902	2-3-2015	140
612092	SBI	A/C 8965287	24-3-2015	16998
612094	SBI	A/C 8965287	24-3-2015	110638
612097	SBI	A/C 8965287	24-3-2015	49816
369918	HGB	A/C 100004460	24-3-2015	2600
				2,60,332

(3) List of Cash in hand which is sent to bank by cash/cheques but credit not given by bank as on 31-3-2015

Payment mode		Deposit in MC's Account no.		
Ch. No. 863452 SBI	26.3.15	267902	PNB	180000
Ch. No. 169403 KCCB	31.3.15	267902	PNB	78600
Cash	31.3.15	267902	PNB	2566
			Total	**2,61,166**

4.3 चैक संख्याः 134342, दिनांक 15.1.2014 व चैक संख्याः 782923, दिनांक 1.12.2014 द्वारा क्रमशः राशि ₹80,000 व ₹140 के लिए परिषद द्वारा जारी किये थे लेकिन इन चैकों को बैंक में भुगतान हेतु अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नही किया गया। क्योंकि चैकों की वैधता अवधि तीन माह के पश्चात खत्म हो जाती है। अतः इस सम्बन्ध में बैंक से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तदानुसार आगामी कार्रवाई की जाए।

5 अनुदान

अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2015 के दौरान विभिन्न संस्थाओं से परिषद को प्राप्त अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–''ख–3''** में दिखाया गया है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान व्यय राशि (₹)	व्यय हेतु शेष राशि (₹)
2013–14	45,60,028	73,86,671	1,19,46,699	51,84,995	67,61,704
2014–15	67,61,704	1,43,49,617	2,11,11,321	1,06,96,669	1,04,14,652

5.1 दिनांक 31.3.2015 तक अनुदान की राशि ₹104.15 लाख उपयोग हेतु शेष :–

अंकेक्षण के परिशिष्ट–''ख–1'' के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक गत वर्षों में प्राप्त अनुदानों की राशि ₹1,04,14,652/– व्यय हेतु शेष पाई गई। अनुदान राशियों का अत्याधिक मात्रा में शेष रहना व अनुदान राशियों को निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न कर पाने के कारण जहां एक ओर अनुदानों का अनावश्यक संग्रह किया गया वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए। अतः अनुदानों को समयवद्ध प्रयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शेष राशि को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर

समयवद्ध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

5.2 अनुदान राशि ₹158.82 लाख के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना :–

अंकेक्षण में उपलब्ध सूचना परिशिष्ट–''ख–1'' के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से ₹1,58,81,664/– का व्यय किया गया। अनुदान के रूप में प्राप्त राशियों की अनुदान रजिस्टर में प्रविष्टियाँ दर्ज थी लेकिन अनुदान की राशि जिन–जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय की गई थी का विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज नहीं पाया गया जिसके अभाव में अनुदानों से व्यय की गई राशि की जाँच नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जेसे कि माह/दिनांक, बिल/वाऊचर इत्यादि अनुदान रजिस्टर में दर्ज किए जाए व सत्यापना हेतु सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

6 गृहकर

दिनांक 31.3.2015 को गृहकर की राशि ₹11.81 लाख वसूली हेतु शेष :–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को गृहकर की राशि ₹11,81,242/– वसूली हेतु शेष थी। जिसका विवरण **परिशिष्ट–''ख–II''** में दिया गया है। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः यू0एल0बी0–(एच)(ए)(7)–1/84–9237 से 9284, दिनांक 20.6.2001 के अनुसार करों की शतप्रतिशत वसूली की जानी अपेक्षित थी लेकिन परिषद द्वारा करों की वसूली हेतु उचित कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई प्रतीत होती है। अतः हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 258 में विहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करके राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

6.1 गृहकर दर का निर्धारण राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार न करने के फलस्वरूप परिषद को राशि ₹1.90 लाख की वित्तीय हानि :–

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः यू0डी0–एच(सी)10)–7/98, दिनांक 17.11.2003 के अर्न्तगत राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रयोजन से प्रत्येक शहरी निकाय को गृहकर की दर का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

वित्तीय वर्ष	गृहकर की प्रतिशतता
2002-03	7.5%
2003-04	8.5%
2004-05	10%
2005-06	11.5%
2006-07	12.5%

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नगर परिषद द्वारा गृहकर की गणना वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 में 7½% दर से की गई थी। इस प्रकार नगर परिषद को वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 के दौरान लगभग ₹1,89,968/– की आय की हानि हुई है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

वित्तीय वर्ष	7-½% से गृहकर की गणना (₹)	12-½% की दर से गृहकर की गणना (₹)	अन्तर
2013–14	1,43,151	2,38,585	95,434
2014–15	1,41,801	2,36,335	94,534
		योग	**₹1,89,968**

अतः राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृहकर दर का निर्धारण 12-½% करना सुनिश्चित किया जाए।

7 दिनांक 31.3.2015 तक दुकानों के किराय राशि ₹20.61 लाख वसूली हेतु शेष :–

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट–"ख–II"** के अनुसार अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को दुकानदारों से किराया राशि ₹20,60,909/– वसूली हेतु शेष थी। अतः मासिक किराय की अत्यधिक राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। ऐसा प्रतीत होता है कि किराय वसूली हेतु परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश म्यूनिस्पिल एक्ट, 1994 की धारा 258 में विहित प्रावधानों के अनुसार उचित करवाई अमल में नहीं लाई गई थी। अतः नियमानुसार कार्रवाई न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए किराय राशि ₹20,60,909 की वसूली की जाए।

8 व्यवसायिक कर की राशि ₹1.82 लाख दिनांक 31.3.2015 तक वसूली हेतु शेष :–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को व्यवसायिक कर की राशि ₹1,82,460/– वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"ख–II"** में दिया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट होता है कि अंकेक्षण

अवधि के दौरान व्यवसायिक कर की वसूली शुन्य थी जबकि इसके अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः यू0एल0बी0–एच(ए)(7)–1/84–9237 से 9284, दिनांक 20.6.2001 के अनुसार करों की शत प्रतिशत की वसूली करना अपेक्षित था। अतः व्यवसायिक कर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 258 के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई करते हुए करों की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा व्यवसायिक कर वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 का मांग एवं संग्रह रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 का व्यवसायिक कर मांग एवं संग्रह रजिस्टर तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बस अड्डा फीस एकत्रीकरण का ठेका वर्ष 2013–14 व 2014–15 के लिए गत वर्षों की दरों से कम दरों पर स्वीकृत करने के कारण नगर परिषद को राशि ₹3.60 लाख की वित्तीय हानि :–

बस अड्डा फीस एकत्रीकरण का ठेका वित्तीय वर्ष 2011–12 में राशि ₹23,72,000/– के लिए श्री संदीप कुमार सुपुत्र श्री राम सिंह को आबंटित किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 में उक्त बस अड्डा का ठेका ₹21,61,000/– में श्री नरेश कुमार सुपुत्र श्री अमर सिंह व वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹22,23,000/– श्री विनोद कुमार सुपुत्र श्री मेहर चन्द को दिया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 में उक्त बस अड्डे का ठेका वित्तीय वर्ष 2011–12 की तुलना में कम दरों पर स्वीकृत करने के कारण नगर परिषद को क्रमशः ₹2,11,000 (23,72,000–21,61,000) व ₹1,49,000 (23,72,000–22,23,000) कुल ₹3,60,000/– की वित्तीय हानि हुई है। नियमानुसार गत वर्षों की दरों की तुलना में कम दरों पर ठेका आबंटित करना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत वर्ष के ठेके की राशि को आगामी वर्ष के लिए न्यूनतम बोली तय किया जाना अपेक्षित था। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान अड्डा फीस एकत्रीकरण ठेके को गत वर्षों के ठेके के आधार पर स्वीकृत न करने के कारणों को नियमानुसार स्पष्ट किया जाए यदि नगर परिषद द्वारा उक्त नियम की अनुपालना की होती, तो नगर परिषद को उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अधिक आय प्राप्त हो सकती थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

10 नगर परिषद की स्वीकृति के बिना कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹55,568/– का अनियमित भुगतान :–

नगर परिषद द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 21.9.2012 को अधिसूचित विभिन्न पदों हेतु संशोधित पे व ग्रेड पे का भुगतान नगर परिषद के प्रस्ताव के बगैर अपने स्तर पर किया गया। इस प्रकार वेतन एवं भत्तों के रूप में अवधि 1.4.2013

से 31.5.2013 तक राशि ₹55,568/– अनियमित भुगतान किया गया है। यह अनियमितता कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 436, दिनांक 17.7.2015 द्वारा लाई गई। जिस पर उन्होंने अंकेक्षण के मत से सहमति जताते हुए आगामी वेतन बिलों से अधिक भुगतान की वसूली का आश्वासन दिया। अतः संशोधित पे व ग्रेड पे अपने स्तर पर आहरित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अवधि 1.4.2013 से 31.5.2013 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में नगर परिषद कर्मचारियों को किए गए अनियमित भुगतान को परिषद की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली की जाए। अनुपालना से इस विभाग से अवगत करवाया जाए। नगर परिषद देहरा में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवं अनुचित भुगतान का विवरण निम्नलिखित प्रकार से था।

Detail of Recovery on account of irregular payment of Pay Grade Pay of Nagar Parishad Dehra w.e.f. 1-4-2013 to 31-3-2015

Sr. No.	Name & Designation of Employee	Due Pay+Grade Pay	Deawn Pay+Grade Pay	Difference	DA Rate	Amount	Total	Period	No. of Month	Amount	Grade Total of Recovery
1.	Vijay Kumar Clerk	9780+1950 =11730	10300+3200 =13500	1770	80%	1416	3186	1-4-13 to 31-5-13	2	6372	6372
2.	Kulbhushan Toll Guard	8550+1400 =9950	9170+1900 =11070	1120	80%	896	2016	1-4-13 to 31-5-13	2	4032	4032
3.	Swarna Devi Safai Worker	8550+1400 =9950	9170+1900 =11070	1120	80%	896	2016	1-4-13 to 31-5-13	2	4032	4032
4.	Raj Kumar Peon	9340+1400 =10740	9630+1650=11280	540	80%	432	972	1-4-13 to 31-5-13	2	1944	1944
5.	Raj Kumar Chowkidar	8270+1400 =9670	8590+1650=10240	570	80%	456	1026	1-4-13 to 31-5-13	2	2052	2052
6.	Rakesh Kumar Safai Sewak	8270+1400 =9670	8290+1650=9940	270	80%	216	486	1-4-13 to 30-4-13	1	486	
		9670	8590+1650=10240	570	80%	456	1026	1-5-13 to 31-5-13	1	1026	
		9670	8280+1400=9680	10	80%	8	18	1-6-13 to 30-6-13	1	18	
		9670	8280+1400=9680	10	90%	9	19	1-7-13 to 31-8-13	2	38	1568
7.	Manohar Lal Beldar	8550+1400 =9950	9170+1900=11070	1120	80%	896	2016	1-4-13 to 31-5-13	2	4032	4032
8.	Rakesh Kumar Beldar	8550+1400 =9950	9170+1900=11070	1120	80%	896	2016	1-4-13 to 31-5-13	2	4032	4032
											₹28,064

Detail of Recovery on account of irregular payment of Pay Grade Pay of Nagar Parishad Dehra w.e.f. 1-4-2013 to 31-3-2015

B/F ₹28,064/-

Sr. No.	Name & Designation of Employee	Due Pay+Grade Pay	Deawn Pay+Grade Pay	Difference	DA Rate	Amount	Total	Period	No. of Month	Amount	Grade Total of Recovery
9.	Raj Singh Safai Sewak	8550+1400 =9950	9170+1900=11070	1120	80%	896	2016	1-4-13 to 31-5-13	2	4032	4032
10.	Bimla Devi Safai Sewak	8550+1400 =9950	9170+1900=11070	1120	80%	896	2016	1-4-13 to 31-5-13	2	4032	4032
11.	Shakti Chand Safai Sewak	8550+1400 =9950	9170+1900 =11070	1120	80%	896	2016	1-4-13 to 31-5-13	2	4032	4032
12.	Hem Raj Beldar	5910+1300 =7210	6130+1650=7780	570	80%	456	1026	1-4-13 to 31-5-13	2	2052	2052
13.	Rajinder Parshad Beldar	5910+1300 =7210	6130+1650=7780	570	80%	456	1026	1-4-13 to 31-5-13	2	2052	2052
14.	Kartar Chand Beldar	5910+1300 =7210	6130+1650=7780	570	80%	456	1026	1-4-13 to 31-5-13	2	2052	2052
15.	Usha Devi Beldar	5910+1300 =7210	6130+1650=7780	570	80%	456	1026	1-4-13 to 31-5-13	2	2052	2052
16.	Kuldeep Chand Masson	7180+1900 =9080	7460+1900=9360	280	80%	224	504	1-4-13 to 31-5-13	2	1008	1008
17.	Kartar Chand Masson	10140+1950 =12090	10310+1950=12260	170	80%	136	306	1-4-13 to 31-5-13	2	612	612
18.	Narainee devi	10430+1400 =11830	10750+1650=12400	570	80%	456	1026	1-4-13 to 31-5-13	2	2052	2052

₹52,040

<u>Detail of Recovery on account of irregular payment of Pay & Grade Pay of Nagar Parishad Dehra</u>

Sr. No.	Name & Designation of Employee	Due Pay+Grade Pay	Deawn Pay+Grade Pay	Difference	DA Rate	Amount	Total	Period	No. of Month	Amount	Grade Total of Recovery ₹52,040
19.	Gopal Dass Work Supervisior	9470+1950 =11420	9760+1950=11710	290	80%	232	522	1-4-13 to 30-4-13	1	522	
		9820+1950 =11770	10110+1950=12060	290	80%	232	522	1-5-13 to 31-5-13	1	522	
		10180+1950 =12130	10380+1950=12330	200	107 %	214	414	1-10-14to31-3-15	6	2484	3528
										G.Total	**₹55,568**

11 आयकर की धारा 194(सी) के अनुसार आपूर्तिकत्ताओं के बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती न करने के कारण राजकीय कोष में ₹0.19 लाख कम जमा होनाः—

आयकर की धारा 194(सी) स्पष्ट उल्लेख करती है कि किसी भी प्रकार के एकल भुगतान जो कि ₹30,000/— से अधिक हो अथवा ₹75,000/— के सकल भुगतानों, जोकि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति संविदाकार, फर्म अथवा कम्पनी को किए हो पर 1% की दर से एकल व्यक्ति से व 2% की दर से फर्म, संविदाकार अथवा कम्पनी से T.D.S काटा जाना अनिवार्य है। धारा 194(सी) पुनः स्पष्ट करती है कि सभी अनुबन्ध विज्ञापन, कैटरिंग परिवहन, सेवा, मजदूरी, सामान आपूर्ति करने, कार्य करवाने इत्यादि के अनुबन्धों पर एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% अन्य सभी मामलों में 2% टी0डी0एस0 कटौती करना भुगतानकर्त्ता का उतरदायित्व था। जाँच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद देहरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2013—14 व 2014—15 में निम्नलिखित व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया, लेकिन भुगतानों से टी0डी0एस0 की कटौती निर्धारित दरों के अनुसार नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप राजकीय कोष में टी0डी0एस0 के रूप में ₹18,907/— कम जमा हुए। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा फर्मों से उक्त राशि की वसूली करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	व्यक्ति/संविदाकार/फर्म जिसे भुगतान किया गया	वित्तीय वर्ष	सामान/संविदा का विवरण	राशि (₹)	टी0 डी0 एस0 (₹)
1.	श्री राज कुमार, सुपुत्र श्री मिलखी राम देहरा	2013—14	7 वार्डों में सेनीटेशन का ठेका	4,88,250	4,882.50
2.	श्रीमती इन्द्रा देवी, पत्नी श्री राज कुमार, गांव सदरपुर, डा0 टाँडा, तह0 व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)	2014—15 (9 माह)	7 वार्डों में सेनीटेशन का ठेका	4,73,919	4,739.00
3.	श्री राज कुमार, सुपुत्र श्री मिलखी राम, गांव व डा0 देहरा	2014—15 (3 माह)	7 वार्डों में सेनीटेशन का ठेका	1,74,498	1,745.00
4.	महार्षि इन्टरप्राईज़िज देहरा	2013—14	ट्रैक्टर ड्राईवर की आपूर्ति का ठेका	33,000	330.00
5.	श्री मलकीत सिंह परमार	2014—15	ट्रैक्टर ड्राईवर की आपूर्ति का ठेका	57,250	572.00
6.	मैसर्ज सुभाष ब्रदर्ज मेन बजार देहरा	2014—15	स्ट्रीट लाईट सामान की आपूर्ति	5,13,750	5,137.50
7.	मैसर्ज सुभाष ब्रदर्ज मेन बजार देहरा	2013—14	स्ट्रीट लाईट सामान की आपूर्ति	1,50,115	1,501.00
				कुल योग	**₹18,907.00**

12 श्री सुरेन्द्र मोहन सूद, (अरोग्य मैडिकल स्टोर) से किराया राशि ₹8.48 लाख की कम वसूली करना :–

नगर परिषद देहरा द्वारा दुकानों की नीलामी हेतु अखबार में दिए गए विज्ञापन के अनुसार एक दुकान आकार 12’ x 10’=120 वर्ग फुट की खुली नीलामी में ₹6,550/– प्रतिमाह किराये की दर से श्री सुरेन्द्र मोहन सूद को दिनांक 8.4.2004 को आबंटित की गई। जब दुकान का कब्जा श्री सुरेन्द्र मोहन सूद को दिनांक 1.4.2008 को दिया गया किराया अनुबन्ध अनुसार इस दुकान का आकार 20.6 X 14.8 कुल 304.88 वर्ग फुट था अर्थात खुली बोली में किराए पर ली गई दुकान से 184.88 वर्ग फुट ज्यादा था। श्री सुरेन्द्र मोहन सूद को खुली बोली के आधार पर 120 वर्ग फुट की दुकान ₹6,550/– प्रतिमाह किराए पर दी गई थी जबकि दुकान का वास्तविक आकार 304.88 वर्ग फुट होने के कारण किराए का निर्धारण 6550/120 X 304.88 = ₹16,641 प्रतिमाह की दर से किया जाना व वसूला जाना अपेक्षित था। नगर परिषद देहरा द्वारा अवधि 1.4.2008 से 31.3.2015 तक उक्त दुकानदार से प्रतिमाह ₹6,500/– की दर से वसूलने के कारण उक्त दुकानदार की लगभग 7 वर्षों से अप्रत्याशित एवं अवैध लाभ दिया गया है जिसके कारण उक्त दुकानदार से अवधि 1.4.2008 से 31.3.2015 तक 7 वर्षों/84 माह हेतु ₹10,091 (16,641 – 6550) प्रतिमाह की दर से ₹8,47,644/– किराए के रूप में कम वसूले गए हैं अर्थात नगर परिषद को आय के रूप में ₹8,47,644/– की वित्तीय हानि हुई। अतः राशि ₹8,47,644/– की वसूली दण्ड शुल्क सहित सम्बन्धित दुकानदार अथवा कम किराया निर्धारण हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त तुरन्त प्रभाव से उक्त दुकान का किराया ₹16,641/– प्रतिमाह की दर से वसूला जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की राशि ₹0.41 लाख की कम कटौती :–

अवर सचिव (ई एण्ड टी) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः EXN-F(5)-1/2010-loose, दिनांक 13.8.2012 के अनुसार श्रेणी ‘‘सी’’ व ‘‘डी’’ संविदाकारों द्वारा निष्पादित किए गए निर्माण कार्य बिलों से 3% की दर से बिक्री कर की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 के दौरान सी व डी श्रेणी के संविदाकारों के निर्माण बिलों से 3% की बजाए 2% की दर से बिक्रर कर की कटौती की गई। फलस्वरूप 1% (3–2) की दर से बिक्री कर की कम कटौती करने के कारण राशि ₹40,921.75 (40921.75 x 1%) की कम कटौती की गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अन्यथा राशि ₹40,921.75 की वसूली उचित स्त्रोत से करके राजकोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। बिक्री कर की कम कटौती का विवरण **परिशिष्ट–‘‘ख’’–V** में दिया गया है।

14 निर्माण कार्य बिलों से श्रमकर की राशि ₹0.41 लाख की कटौती न करना :—

नगर परिषद देहरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2013—14 व 2014—15 के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों के बिलों से 1% की दर से श्रमकर की राशि ₹40,922/— की कटौती नहीं की गई है, जबकि श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः 1—2000(लैब)बी0सी0डब्लयू0ए0, दिनांक 30.1.2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग श्रमकर कटौती के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व H.P. Building and other Construction workers welfare board में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अतः श्रमकर की कटौती न करने के कारणों से अवगत करवाते हुए राशि की उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित विभाग में नियमानुसार जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। श्रमकर के रूप में काटी जाने वाली राशि का विवरण **परिशिष्ट—"ख"—V** पर दिया गया है।

15 नगर परिषद देहरा में 7 सफाई कर्मचारी नियमित रूप से तैनात होने के बावजूद सफाई का कार्य ठेके पर देना :—

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद देहरा के 7 वार्डों में सफाई का ठेका वित्तीय वर्ष 2013—14 हेतु श्री राज कुमार संविदाकार को क्रमशः ₹5,04,000/— व वित्तीय वर्ष 2014—15 हेतु श्रीमती इन्दिरा देवी संविदाकार को ₹6,98,000/— में आबंटित किया गया। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना नितांत अनिवार्य है कि नगर परिषद देहरा में 7 सफाई कर्मचारी (6 सफाई कर्मचारी व एक सैनीटेरी बेलदार) नियमित तौर पर कार्यरत हैं जिनके वेतन एवं भत्तों पर वित्तीय वर्ष 2013—14 व 2014—15 में क्रमशः ₹15,47,392 व ₹18,37,680 का व्यय किया गया। नगर परिषद देहरा में 7 वार्ड हैं व प्रति वार्ड एक कर्मचारी की तैनाती करके नगर परिषद देहरा के 7 वार्डों में सफाई का कार्य नियमित कर्मचारियों से ही करवाया जा सकता था। अतः नगर परिषद देहरा में 7 सफाई कर्मचारी नियमित तौर पर तैनात होने के बावजूद सफाई का कार्य ठेके पर देना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः स्पष्ट किया जाए कि जब 7 वार्डों में सफाई का कार्य ठेकेदार से करवाया गया तो नियमित तौर पर कार्यरत 7 सफाई कर्मचारियों ने वित्तीय वर्ष 2013—14 व 2014—15 के दौरान क्या कार्य किया। अतः सुझाव दिया जाता है कि सफाई का कार्य ठेके पर देने की बजाए नगर परिषद देहरा में कार्यरत 7 नियमित कर्मचारियों से ही करवाने हेतु विचार करें ताकि अनावश्यक अपव्यय को रोका जा सके व नगर परिषद देहरा में नियमित रूप से कार्यरत 7 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं का सदुपयोग सम्भव हो सके।

16 औपचारिक्ताओं को पूर्ण किए बिना रैहन बसेरे को ठेके पर आबंटित करना :–

अवधि 1.8.2013 से 31.7.2014 तक रैहन बसेरा का ठेका ₹80,500/– वार्षिक दर पर श्री नरेश चौहान संविदाकार को दिया गया था व अवधि 1.8.2014 से 31.7.2015 तक का ठेका 10% वृद्धि के साथ ₹88,550/– में बिना टैण्डर/निविदाओं के श्री नरेश चौहान संविदाकार को ही आबंटित कर दिया गया है जो कि अनियमित है। टैण्डर/निविदा आमंत्रित किए बगैर उक्त ठेका गत वर्ष की ठेका राशि में 10% वृद्धि उपरान्त किस आधार पर व किन नियमों के अन्तर्गत दिया गया है, तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए अन्यथा नियमों के विपरीत रैहन बसेरा का ठेका पुराने संविदाकार को आबंटित करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए, कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में रैहन बसेरा का ठेका निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त ही ठेके पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 श्री ओम प्रकाश, सफाई कर्मचारी की सेवा पंजिका में 82 दिन के असाधारण अवकाश (बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र) की प्रविष्टि न करना :–

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी ने बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के असाधारण अवकाश व्यतीत किया है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

क्रम संख्या	वर्ष	असाधारण अवकाश की अवधि	कुल दिन
1)	2011	25.5.2011 से 306.2011 तक	37 दिन
2)	2012	1.9.2012 से 13.9.2012 तक	
		1.11.2012 से 15.11.2012 तक	36 दिन
		24.12.2012 से 31.12.2012 तक	
3)	2013	26.6.2013 से 28.6.2013 तक	
		8.7.2013 से 9.7.2013 तक	9 दिन
		27.9.2013 से 30.9.2013 तक	
		कुल योग	**82 दिन**

उक्त असाधारण अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्र के बगैर) की प्रविष्टियां सेवा पंजिका में नहीं पाई गई हैं। अतः उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका में उक्त असाधारण अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्र के बगैर) की प्रविष्टि न करने का कारण स्पष्ट करते हुए उक्त अवकाश की प्रविष्टियाँ सेवा पंजिका मे करना सुनिश्चित किया जाए।

18 श्री ओम प्रकाश, सफाई कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धियाँ गलत तरीके से स्वीकृत करने व मूल वेतन का गलत निर्धारण करने के कारण वेतन एवं भत्तों की राशि ₹0. 19 लाख का अधिक भुगतान :–

उक्त कर्मचारी द्वारा उपरोक्त 82 दिन का असाधारण अवकाश व्यतीत करने के कारण उक्त कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि उपरान्त मूल वेतन का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है। बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के असाधारण अवकाश व्यतीत करने के कारण उक्त कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि उतने दिन बाद लगाई जानी अपेक्षित थी जितने दिन पिछले वर्ष में उसने असाधारण अवकाश (बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र) व्यतीत किया था। अतः उक्त कर्मचारी का वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 के दौरान नगर परिषद देहरा द्वारा गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹19,326/– का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारी को गत वर्षों के वेतन निर्धारण की जाँच परिषद स्तर पर करके अधिक भुगतान यदि कोई हो तो उस राशि की भी वसूली की जाए। जिसका विवरण निम्ननिखित प्रकार से है :–

(i) पूर्व में वास्तविक वेतन वृद्धि की तिथि	1 मार्च
(ii) 1.1.2006 को मूल वेतन	7930 + 1400
वेतन वृद्धि की वास्तविक तिथि	वेतन (पे + ग्रेड पे)
20.5.2006	8210 + 1400 = 9610
15.6.2007	8500 + 1400 = 9900
1.6.2008	8800 + 1400 = 10200
27.7.2009	9111 + 1400 = 10510
14.9.2010	9430 + 1400 = 10830
1.9.2011	9760 + 1400 = 11160
21.10.2012	10100 + 1400 = 11500
2.11.2013	10450 + 1400 = 11850
1.1.2014	10810+ 1400 = 12210
1.1.2015	11180+ 1400 त्र 12580

अतः यदि गत वर्षों में गलत वेतन निर्धारण करने के कारण उक्त कर्मचारी को वेतन एवं भतों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान किया गया हो, तो उक्त गलत एवं अधिक भुगतान की वसूली संस्था स्तर पर गणना करने उपरान्त की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Detail of Recovery on account of irregular payment of pay & Grade Pay

Name & Designation of Employee	Due Pay + Grade Pay	Drawn Pay + Grade Pay	Differ-ence	DA Rate	Amount	Total	Period	No of Months	Amount	Grand Total of Recovery
Om Parkash Safai Sewak	10100+1400 =11500	10430+1650 =12080	580	80%	464	1044	1-4-13 to 30-6-13	3	3132	
	10100+1400 =11500	10800+1400 =12200	580	90%	522	1102	1-7-13 to 31-8-13	2	2204	
			700	90%	630	1330	1-9-13 to 31-10-13	2	2660	
			700	90%	630	1330	1-11-13	1 Day	44	
	10450+1400 =11850	10800+1400 =12200	350	90%	315	665	2-11-13 to 30-11-13	29 days	643	
			350	90%	315	665	1-12-13 to 31-12-13	1	665	
	10810+1400 =12210	11170+1400 =12570	360	100%	360	720	1-1-14 to 30-6-14	6	4320	
			360	107%	385	745	1-7-14 to 31-12-14	6	4470	
	11180+1400 =12580	11550+1400 =12950	370	107%	396		1-1-15 to 31-3-15	3	1188	
								Total	**₹19,326/-**	

19 श्री ओम प्रकाश, सफाई कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹6483 का गलत एवं अधिक भुगतान :–

वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र व्यतीत किए गए असाधारण अवकाश के वेतन की कटौती न करने के कारण निम्नलिखित मासों में उक्त कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में राशि ₹6483/– का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	माह	चिकित्सा प्रमाण पत्र के बगैर व्यतीत किए गए असाधारण अवकाश की अवधि	देय वेतन	दिया गया वेतन	अधिक भुगतान
1)	6/13	26.6.13 से 28.6.13 = 3 दिन	19366	21518	2152
2)	7/13	8.7.13 से 9.7.13 = 2 दिन	20130	21518	1388
3)	9/13	27.9.13 से 30.9.13 = 4 दिन	19131	22074	2943
				कुल योग	**₹6483/–**

20 नगर परिषद देहरा के चूककर्त्ता/डिफाल्टर संविदाकारों को ब्लैक लिस्ट/वर्ज्य सूची में न डालना :–

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद देहरा द्वारा गत वर्षों में नीलामी द्वारा विभिन्न कार्य वार्षिक ठेके पर संविदाकारों को आबंटित किए गए थे उनमें से कुछ संविदाकारों द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप नगर परिषद देहरा को ठेका राशि का भुगतान नहीं किया गया जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :–

क्र0 सं0	ठेकेदार का नाम	वसूली हेतु शेष राशि	टिप्पणी
1.	श्री संदीप कुमार, सुपुत्र श्री राम सिंह	11,91,600	वित्तीय वर्ष 2011–12 में लिए गए बस अड्डा व पार्किंग की ठेका राशि
2.	श्री जनक राज गुलेरिया, सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द	2,50,625	वित्तीय वर्ष 2010–11 में लिए गए बस अड्डा व पार्किंग की ठेका राशि
3.	श्री नरेश कुमार देहरा	37,200	वित्तीय वर्ष 2009–10 में लिए गए बस अड्डा व पार्किंग की ठेका राशि

फलस्वरूप उक्त संविदाकार/व्यक्ति जहां एक तरफ तो नगर परिषद देहरा में डिफाल्टर/चूककर्त्ता है वहीं दूसरी तरफ उन्हीं संविदाकारों/व्यक्तियों को अन्य कार्यों हेतु ठेके पुनः आबंटित किए गए थे। अतः परामर्श दिया जाता है कि उगाही/वसूली की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु व डिफाल्टर व्यक्तियों/संविदाकारों से वूसली करने हेतु नगर परिषद देहरा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप डिफाल्टर रहे व्यक्तियों/संविदाकारों/फर्मों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करे व

कोई भी आगामी ठेका/कार्य करने हेतु तब तक प्रतिबन्धित किया जाए, जब तक वह व्यक्ति/संविदाकार गत वर्षों से नगर परिषद को देय राशि का भुगतान न करें। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 बेलदारों की कार्य प्रगति सूचना (Work Progress Report) वेतन बिल के साथ संलग्न न करने बारे :–

निर्माण कार्य से सम्बन्धित तय मापदण्डों के अनुसार कार्यरत बेलदारों के वेतन बिलों के साथ उन मजदूरों की मासिक कार्य प्रगति सूचना (Work Progress Report) संलग्न की जानी अपेक्षित है और इस कार्य प्रगति सूचना की माप पुस्तिका में भी प्रविष्टि की जाती है, जिससे उनके द्वारा मास के दौरान किए गए कार्य की पुष्टि की जा सके। वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 के वेतन बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद में कार्यरत बेलदारों की मासिक कार्य प्रगति सूचना (Work Progress Report) मासिक वेतन बिलों के साथ संलग्न नहीं की गई थी और न ही माप पुस्तिका में दर्ज की गई थी। जिसके अभाव में यह जाँच नहीं की जा सकी कि इन बेलदारों द्वारा वास्तव में क्या कार्य किया गया था। नगर परिषद द्वारा इन बेलदारों को वर्ष 2013–14 व 2014–15 के दौरान वेतन के रूप में क्रमशः ₹9,28,282 व ₹9,02,874 का भुगतान किया गया। अतः कार्यरत बेलदारों (रेगुलर) की मासिक कार्य प्रगति सूचना (Work Progress Report) मासिक वेतन बिलों के साथ संलग्न न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व बेलदारों को वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 के दौरान किए गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 अंकेक्षण दल को सूचनाएं उपलब्ध न करवाना :–

अंकेक्षण दल द्वारा नगर परिषद देहरा से अंकेक्षण के पूर्व व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न अधियाचनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी, जिन्हें अंकेक्षण की समाप्ति तक अंकेक्षण दल को प्रदान नहीं किया गया। अतः सूचनाएं प्रदान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्पूर्ण सूचनाएं तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	अधियाचना संख्या	दिनांक		मांगी गई सूचना का विवरण
1)	406	28.5.15	(i)	उन कर्मचारियेां की सूची जिनका वेतन निर्धारण पदोन्नति, ए0सी0पी0 के कारण अवधि 1.4.13 से 31.3.15 तक के दौरान किया गया।
			(ii)	उन कर्मचारियों की सूची जो अवधि 1.4.13 से 31.3.15 तक के दौरान सेवानिवृत हुए व जिनकी आगामी 2 वर्षों में सेवानिवृति देय है।

			(iii)	दिनांक 31.3.15 को विभिन्न मोबाईल टावरों के नवीनीकरण के रूप वसूली हेतु शेष राशि का विवरण
2)	437	17.5.15	(i)	अवधि 1.4.13 से 31.3.15 तक विभिन्न ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति की गई रेत, बजरी व पत्थरों इत्यादि का विवरण
			(ii)	मुरम्मत निर्माण कार्यों में जिन संविदाकारों द्वारा नगर परिषद देहरा को एम0फार्मों की आपूर्ति नही ंकी गई उनसे कब–कब कितनी–कितनी रायल्टी की राशि काटी गई है।
			(iii)	उन कार्यों की सूची जो अवधि 1.4.13 से 31.3.15 तक के दौरान आरम्भ किए गए, लेकिन जिन्हें 31.3.15 तक पूर्ण नहीं किया गया।
			(iv)	अवधि 1.4.13 से 31.3.15 तक के दौरान कितने तारकोल के ड्रम क्रय किए गए हैं का पूर्ण विवरण।
3)	439	20.7.15	(i)	उन उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण जो दिनांक 1.4.13 से 31.3.15 तक के दौरान विभिन्न विभागों/सरकारी एजैन्सियों को जारी किए गए हैं।
			(ii)	अवधि 1.4.13 से 31.3.15 तक के दौरान पटवारी व वकील को दिए गए मानदेय का विवरण।
			(iii)	दिनांक 31.3.15 को स्थल पर सामान (Material at Site) का विवरण।

23 दुकानों के किराये में अनुबन्धानुसार वृद्धि न करने के कारण राशि ₹9016/– के किराये की वसूली न करना :–

निम्नलिखित दुकानदारों से अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किराये में वृद्धि न करने के कारण किराये की राशि ₹9016/– की वसूली नहीं की गई। जबकि अनुबन्ध की शर्त–13 में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद नियमानुसार किराये में 5% की वृद्धि की जाएगी। परन्तु नगर परिषद द्वारा उक्त नियम की अनुपालना न करके वास्तविक किराये में वृद्धि नहीं की गई। अतः दुकानदारों के किराये में वृद्धि न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व किराये में नियमानुसार वृद्धि करके सम्बन्धित दुकानदारों से अपेक्षित राशि की वसूली करने उपरान्त नगर परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	दुकान सं0	दुकानदार का नाम	मासिक किराया (₹)	वृद्धि उपरान्त वसूली योग्य किराया (₹)	वसूला गया किराया (₹)	अन्तर	कम वसूला गया किराया (₹)
1.	34	श्री विजय कुमार, सुपुत्र श्री घुंघर	462	462+462x5%=485	462	23	1.7.11से30.6.13 तक 23x24=552
			485	485+485x5%=509	462	47	1.7.13से31.3.15 47x21=987
							योग (552+987)=1539
2.	35	श्री प्रकाश चन्द, सुपुत्र श्री हरिदास		—— यथोपरि ——			1539
3.	36	श्रीमती ऊषा देवी, पत्नी श्री देवराज		—— यथोपरि ——			1539
4.	37	श्री जोगिन्द्र पाल, सुपुत्र श्री पुरषोत्तम	462	462+462x5%=485	462	23	1.7.11से31.3.13 तक 23x24=552
			485	485+485x5%=509	462	47	1.7.13से31.3.15 तक 47x21=987
							योग (552+987)=1539
5.	39	श्री राकेश कुमार, सुपुत्र श्री राज कुमार		—— यथोपरि ——			1539
6.	40	श्री रविन्द्र चन्द, सुपुत्र श्री तुलसी राम	420	420+420x5%=441	420	21	1.9.11से30.8.13 तक 21x24=504
			441	441+441x5%=463	420	43	1.9.13से31.3.15 तक 43x19=817
							योग (504+817)=1321

क्रम संख्याः 1 से 6 तक का कुल योग = ₹9016/—

24. स्वीकृत बजट राशि से ₹27.84 लाख का अधिक व्यय करना :—

नगर परिषद का अवधि 4/14 से 3/15 तक का स्वीकृत बजट व व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार था :—

वर्ष	स्वीकृत बजट (₹)	वास्तविक व्यय (₹)	अन्तर (₹)
2014—15	1,26,70,000	1,54,53,704	27,83,704

स्वीकृत बजट की राशि से अधिक व्यय की गई राशि ₹27,83,704/— का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी प्राप्त से नहीं की गई थी। अतः इस प्रकरण में म्यूनिसिपल

एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25. राशि ₹0.14 लाख के ब्याज की हानि :–

नगर परिषद द्वारा दिनांक 16.3.11 को सावधि निवेश संख्या 11293320784 के अन्तर्गत ₹4,17,311/– की राशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया देहरा में 8.25% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष हेतु निवेशित की गई थी जिसकी परिपक्वता तिथि 16.3.15 थी व परिपक्वता राशि ₹5,78,521/– प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। लेकिन नगर परिषद द्वारा उक्त सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि को परिपक्वता तिथि से पूर्व दिनांक 17.10.13 को परिपक्व करवा लिया गया व बैंक ने ₹4,97,574/– की परिपक्वता राशि प्रदान की गई। लेकिन सावधिक निवेश के अन्तर्गत उक्त ₹4,17,311/– की निवेशित राशि पर 8.25% वार्षिक ब्याज की दर से 2½ वर्ष उपरान्त लगभग ₹5,11,825/– की राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। फलस्वरूप ₹14,251 (₹5,11,825 – ₹4,97,574) की ब्याज स्वरूप हानि हुई है। अतः उक्त सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि को समय से पूर्व परिपक्व करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त ब्याज स्वरूप हुई हानि ₹14,251/– की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त नगर परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26. ₹1337.75 का अधिक भुगतान :–

माह 2/14 में मैसर्ज शहीद विजेन्द्र सिंह फिलिंग स्टेशन देहरा को माह दिसम्बर, 2013 में 100 लीटर व माह जनवरी, 2014 में 100 लीटर डीजल क्रय करने की एवज़ में ₹11,149/– का भुगतान किया गया दर्शाया है। लेकिन ट्रैक्टर एच0पी0–36–2969 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि माह दिसम्बर, 2013 में दिनांक 2.12.13 को 25 लीटर, 9.12.13 को 25 लीटर व 18.12.13 को 25 लीटर कुल 75 लीटर क्रय किया गया डीजल दर्ज पाया गया फलस्वरूप 25 (100 – 75) लीटर डीजल का अधिक क्रय किया गया दर्शाया है। अतः उक्त अधिक क्रय दर्शाए गए 25 लीटर डीजल ₹53.51/– प्रति लीटर की दर से ₹1337.75 (25 x 53.51) की वसूली सम्बन्धित पैट्रोल पम्प अथवा अधिक क्रय दर्शाने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से करने उपरान्त नगर परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27. दिनांक 31.3.15 को अग्रिम राशि ₹4.25 लाख समायोजन हेतु शेष :–

दिनांक 31.3.15 को ₹4,24,706/– अग्रिमों के रूप में समायोजन हेतु शेष थे। उक्त असमायोजित अग्रिम राशियों में से ₹4,16,153/– विभिन्न फर्मों, ठेकेदारों व विभागों को निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रिम दिए गए थे व शेष ₹85,532/– नगर पंचायत कर्मचारियेां को विभिन्न उद्देश्यों हेतु अग्रिम राशि प्रदान की गई थी गत कई वर्षों के अग्रिमों का समायोजन न होना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। व उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता बारे गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/09 से 3/11 के पैरा–39 व अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13 के पैरा संख्या 44 पर भी आपतियाँ दर्ज पाई गई लेकिन नगर परिषद द्वारा चार वर्ष व्यतीत हो जाने व बार–बार आपत्ति उठाने के बावजूद भी अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु अविलम्ब कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। असमायोजित अग्रिम राशियों का विवरण निम्नानुसार है।

(i) Detail of Misc advances outstanding for adjustment as on 31-3-15

Sr. No.	Date of Advance & Vr. No.	Name of Party to whom advance given	Amount (₹)	Purpose for which Advance is given
1.	Vr. No. 27 of 2/97	Xen HP PWD Dehra	1,70,000/-	C/o Drain
2.	Vr. No. 2 of 8/01	Sh. Ashok S/o Sh. Haria R/o Dehra	1,500/-	For dressing stone
3.	Vr. No. 7 of 7/02	The Executive Engineer HPPWD Dehra	1,50,000/-	Repair of Harizan Basti
4.	Vr.No.24 of 5/03	Sh. Sanjay Sharma	6,000/-	C/o Work under NSDP Scheme
5.	Vr.No. 25 of 5/03	Sh. Bansi Lal R/o Dehra	5,000/-	C/o Work under NSDP Scheme
6.	Vr.No. 7 of 6/03	Sh. Bansi Lal R/o Dehra	10,000/-	C/o Work under NSDP Scheme
7.	Vr.No. 8 of 6/03	Sh. A.K. Dhiman Dehra	10,000/-	C/o Work under NSDP Scheme
8.	Vr.No. Nil of 11/04	Sh. A.K.Dhiman Dehra	10,000/-	C/o Work under NSDP Scheme
9.	Vr.No. Nil of 12/04	Sh. Bansi Lal R/o Dehra	15,000/-	C/o Work under

10.	Vr.No. 11 of 9/2010	H.P. State Civil Supply Corporation Shimla	38,653/-	NSDP Scheme For 200 bag Cement
		Total	**₹4,16,153/-**	

(II) Detail of Advance paid to the employee of Nagar Parishad Dehra as on 31-3-15

Sr. No.	Date of Advance	Name of Employee	Amount (₹)	Purpose of Advance
1.	Vr.No. 10 of 5/01	Sh. Prittam Chand (Driver)	3,000/-	For Passing fees & Repair of Tractor
2.	Vr.No. 6 of 6/05	Sh. Prittam Chand (Driver)	1,000/-	For Repair of Three Wheeler
3.	Vr.No. 11 of 12/09	Sh. Vijay Singh (Clerk)	1,553/-	For Postage Stamps
4.	Vr.No. 18 of 7/10	Sh. Vijay Singh (Clerk)	1,000/-	For Refreshment
5.	Vr.No. 6 of 7/10	Sh. Raj Kumar (Chokidar)	1,000/-	For postage stamps
6.	Vr.No. 35 of 8/10	Sh. Raj Kumar (Chokidar)	1,000/-	For postage stamps
		Total	**₹8,553/-**	

क्रम संख्याः (i) व (ii) का कुल योग (₹4,16,153 + ₹8,553)= ₹4,24,706/–

28. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना राशि ₹0.83 लाख के सामान को क्रय करने बारे :–

माह 2/14 के दौरान निम्न विवरणानुसार मैसर्ज़ सुभाष एण्ड ब्रदर्स, देहरा को ₹83,170/– का भुगतान किया गया।

क्र0 स0	वाऊचर सं0 /दिनांक	फर्म का विवरण	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य (₹)
1.	शून्य 28.2.14	मैसर्ज सुभाष एंड ब्रदर्ज, तहसील रोड़ देहरा	टयूब रॉड 40 वॉट	100	42	4,200
			टयूब चॉक 40 वॉट	60	200	12,000
			टयूब होल्डर	20	12	240

टयूब स्टाटर	75	12	900
लिंक फ्लिप 63 एम.एम	5	45	225
टेप रोल	20	12	240
स्ट्रीट लाईट फिक्सचर 4' लम्बा	5	1450	7,250
पी.बी.सी. 6 एम.एम	5	1050	5,250
पी.बी.सी. 8 एम.एम	5	1250	6,250
पी.बी.सी. 10 एम.एम	5	1650	8,250
फ्लाई तार 40/76	1	375	375
एस.बी.एल. इग्नेटर	5	350	1,750
एस.बी.एल. कन्डैन्सर	5	350	1,750
एस.बी.एल. होल्डर	6	60	360
सी.एफ.एल. 15 वॉट	30	160	4,800
सी.एफ.एल. 25 वॉट	30	325	9,750
सी.एफ.एल. 65 वॉट	10	750	7,500
	दर्शाया गया भुगतान		**2,500**
सी.एफ.एल. फिक्सचर 25 वॉट	12	540	6,480
सी.एफ.एल. फिक्सचर डबल रॉड	3	1250	3,750
सी.एफ.एल. फिक्सचर 65 वॉट	3	1450	4,350
स्ट्रीट लाईट फिक्सचर ग्लास कवर	10	250	2,500
		योग	**88,170**
	दर्शाया गया भुगतान		**₹83,170**

उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए सामान के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियाँ पाई गई :–

(i) उपरोक्त उल्लेखित ₹83,170/– के क्रय किए गए सामान को क्रय करने से पूर्व निर्धारित औपचारिक्ताएं पूर्ण नहीं की गई थी अर्थात निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई हैं। निविदाओं

के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उक्त सामान का क्रय निम्न दरों पर किया गया था अथवा नहीं! ऐसा प्रतीत होता है कि बिना बाजारिय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए उक्त सामान का क्रय उच्च दरों पर किया गया था। अतः उपरोक्त उल्लेखित सामान को क्रय करने से पूर्व निविदाएं आमंत्रित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में उक्त सामान को क्रय करने से पूर्व विधिवत निविदाएं आमंत्रित की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित सामान को क्रय करने की मांग सम्बन्धित प्रभारी/कर्मचारी द्वारा नहीं की गई है। अतः मांग के बगैर ₹83,170/— के बिजली के सामान को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

29. तहबाजारी की दर में वृद्धि न करना :—

नगर परिषद देहरा के प्रस्ताव संख्या 27/2013, दिनांक 7.6.13 द्वारा तहबाजारी की दर ₹10/—, ₹20/— व ₹30/— व्यवसाय के आधार पर निर्धारित की गई थी। प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख था कि सुक्ष्म आकार के व्यवसाय के लिए ₹10/— मध्यम आकार के लिए ₹20/— व बड़े आकार के व्यवसाय के लिए ₹30/— प्रतिदिन की दर से तहबाजारी की वसूली की जाए। नगर परिषद देहरा द्वारा स्पष्ट प्रस्ताव पारित करने के लगभग दो वर्ष उपरान्त भी नगर परिषद देहरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2013—14 व 2014—15 तहबाजारी ₹10/— प्रतिदिन की दर से ही वसूली गई। अतः परिषद के प्रस्ताव अनुसार तहबाजारी शुल्क की वसूली न करने के कारणों से अवगत करवाते हुए तहबाजारी शुल्क की वसूली परिषद के प्रस्ताव अनुसार करना सुनिश्चित करें।

30. श्री रमेश चन्द संविदाकार को ₹370/— का अधिक भुगतान :—

कार्य का नाम	C/o Litigent Shed in Mini Secretriate at Dehra
ठेकेदार का नाम	श्री रमेश चन्द
अनुमानित लागत	₹3,82,070/—
समाप्ति लागत	₹3,99,299/—
माप पुस्तिका संख्या	44, पेज संख्या 98 से 99
कार्य आबंटन पत्र संख्या	NPD 573/29-7-15
जिस प्रतिशत दर पर कार्य आबंटित किया गया है	15.3% Above S/R

उपरोक्त कार्य के प्रथम चलित बिल की जाँच करने पर पाया गया कि अतिरिक्त मदों की गलत दर निर्धारण करने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार को राशि ₹370/— का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र0 सं0	मद का नाम	मात्रा	देय दर	दी गई दर	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1.	एम0एस0 वोल्ट व नट	6.40 कि0ग्रा0	67.10	125	6.40 x 57.90 = 370

देय दर का विवरण :– Schedule Rate+15.3% above 58,200 PT/ 58.20 Per Kg+8.90 = ₹67.10/-

30.1 ₹298/– का अधिक भुगतान :–

कार्य का नाम	टायरिंग ऑफ रोड इन वार्ड नम्बर 1 से 7
ठेकेदार का नाम	श्री सुरेन्द्र सिंह
माप पुस्तिका संख्या	45, पेज संख्या–58 व 59
भुगतान का माह	2/15

क्र0 सं0	मद का विवरण	वास्तविक मात्रा	दर्शाई गई मात्रा	अन्तर	दर	देय भुगतान	दिया गया भुगतान	अधिक भुगतान
1.	Providing & Laying Track with bitumen emulsion using emulsion distribution at the rate of 0.25 to 0.30 kg per m^2	741.12 m^2	742.62 m^2	1.50 m^2	14	10375	10396	21
2.	20mm thick premix carpet single course surface with .27 cm stone drilling 12.5 m size 0.18 cm and 10mm size 0.9 mix with 0.90 kg per square meter of road surface & rolling with bitumen.	741.12 m^2	742.62 m^2	1.50 m^2	140	103756	103966	210
3.	Premix seat coat R.C. Type B with 0.06 cm of	741.12 m^2	742.62 m^2	1.50 m^2	45	33350	33417	67

fine aggregate 0.90 kg of bitumen per $10m^2$ road surface.

कुल योग ₹298/-

उपरोक्त उल्लेखित मदों की गणना में त्रुटि के कारण ₹298/– का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। अतः उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करने उपरान्त नगर परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30.2 ₹187/– का अधिक एवं गलत भुगतान :–

कार्य का नाम	Restoration of Street from Gugga Mandir to Haripur Road, Phase-II
ठेकेदार का नाम	श्री मान चन्द
अवार्ड संख्या	NPD/157/dated 15-3-13
कार्य शुरू करने की तिथि	20.03.13
कार्य समाप्ति की तिथि	14.5.13
माप पुस्तिका संख्या	44, पृष्ठ संख्या–87

क्र0 सं0	मद का विवरण	वास्तविक मात्रा	दर्शाई गई मात्रा	अन्तर	दर	देय भुगतान	दिया गया भुगतान	अधिक एवं गलत भुगतान
1.	Excavation in dumped stone or mulba i/c stacking out serviceable material & disposed of unserviceable material with in all lead & left	84.31 m^3	85.35 m^3	1.04 m^3	180	15175.80	15363	187.20

Say =187

उपरोक्त उल्लेखित मद की गणना में त्रुटि के कारण ₹187/– का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। अतः उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करने उपरान्त नगर परिषद कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31. सीमेन्ट व तारकोल के क्रय से सम्बन्धित बिल/वाऊचर प्रस्तुत न करना :–

निम्नविवरणानुसार स्टॉक रजिस्टर संख्याः V में सीमेन्ट एवं तारकोल दर्ज किया गया दर्शाया है :–

क्र0 सं0	दिनांक	स्टॉक रजिस्टर संख्या व पेज सं0	विवरण	मात्रा
1.	14.9.13	(v) व 9	चलान संख्या 2191662413 के अन्तर्गत सिविल सप्लाई कार्पोरेशन से सीमेन्ट का क्रय	180 बैग
2.	1.11.13	(v) व 9	चलान संख्याः 2213055729 के अन्तर्गत सिविल सप्लाई कार्पोरेशन से सीमेन्ट का क्रय	180 बैग
3.	21.6.13	(v) व 29	एग्रो इन्डस्ट्रीज़ ज्वालामुखी से तारकोल (विचूमैन) ड्रमों का क्रय	25 ड्रम

उपरोक्त उल्लेखित सीमेन्ट व तारकोल के क्रय से सम्बन्धित बिल/वाऊचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नही किए गए। अतः उक्त क्रय से सम्बन्धित बिल/वाऊचर सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं ताकि क्रय सामान की वास्तविकता की जाँच सम्भव हो सके।

32 (क) बिजली के सामान का दुरूपयोग :–

बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार वास्तविक शेष से कम शेष दर्शाकर उक्त सामान का दुरूपयोग किया गया है :–

क्र0 सं0	दिनांक	समान का विवरण	आरम्भिक शेष की मात्रा	खपत दर्शाई गई मात्रा	कुल योग	दर्शाया गया योग	कम दर्शाई गई मात्रा
1.	25.2.15	टयूब रॉड 40 वॉट	55	2	53	52	1
2.	22.9.14	चॉक 40 वॉट	54	2	52	51	1

अतः उक्त कम दर्शाई गई सामान की मात्रा का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम दर्शाई गई सामान की मात्रा के वास्तविक मूल्य की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने उपरान्त नगर परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹40/– का दुरूपयोग व मौके पर वसूली :–

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 13.8.2014 को तहबजारी रसीद बुक 208 के अन्तर्गत काटी गई रसीदों के रूप में ₹2800/– की राशि नगर परिषद कोष में जमा करवाई गई है लेकिन तहबाजारी रसीद बुक 208 की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त रसीद बुक के अन्तर्गत ₹2840/– की वसूली की गई है फलस्वरूप ₹40/– (2840–40) नगर परिषद कोष में कम जमा करवाए गए हैं उक्त कम जमा करवाई गई राशि के प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया जिस पर उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने उपरान्त जी–8 सख्या 40/118 के अन्तर्गत दिनांक 23.7.2015 को नगर परिषद निधि में जमा करवा दी है व राशि प्राप्ति की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है भविष्य में उक्त प्रकार के प्रकरण को न दोहराने हेतु प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) कुलदीप चन्द सफाई कर्मचारी के सेवापंजिका में व्यतीत किए गए 16 दिन के अर्जित अवकाश की डेबिट प्रविष्टि न करना :–

सेवा पंजिकाओं व व्यक्तिगत नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि श्री कुलदीप चन्द सफाई कर्मचारी ने दिनांक 24.7.13 से 30.7.13 तक 7 दिन व दिनांक 18.2.15 से 26.2.15 तक 9 दिन कुल 16 दिन अर्जित अवकाश व्यतीत किया गया लेकिन अर्जित अवकाश व्यतीत करने की डेबिट प्रविष्टि अर्जित अवकाश खाते में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व व्यतीत अर्जित अवकाश की डेबिट प्रविष्टि उक्त कर्मचारी के अर्जित अवकाश खाते में की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 दिनांक 31.3.15 तक स्ट्रीट लाईट के बिलां की राशि ₹21.46 लाख का भुगतान लम्बित :–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.15 को स्ट्रीट लाईट के बिलों के रूप में ₹21,45,529/– भुगतान करने हेतु शेष थे। इतनी अधिक राशि भुगतान हेतु शेष होना नगर परिषद देहरा की वित्तीय स्थिति दयनीय होने का स्पष्ट उदाहरण है अपेक्षित राशि का बिजली भुगतान विभाग को करना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार के अधिभार से आगामी समय से बचा जा सके।

34 जी–8 रसीदों पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत न करना :–

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः 01/63/06–यू0डी0(ऑडिट) –बी0ओ0एल0–1–12812, दिनांक 15.11.2006 के अनुसार ''प्रत्येक नगर पंचायत/पालिका समय–समय पर प्रस्ताव पारित करके यह निर्धारित करेंगी कि नगर पंचायत/पालिका के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जी–8 हस्ताक्षरित की जाएगी'' परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त पत्र में विहित आदेशों के अनुसार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को जी–8 हस्ताक्षरित करने हेतु प्राधिकृत नही किया गया है और न ही उक्त पत्र के अनुसार प्रत्येक जी–8 बुक पर यह प्रमाण पत्र दिया गया था कि ''रसीद बुक में कितनी रसीदें हैं'' इसके अतिरिक्त प्रयोग हो चुकी जी–8 पर आवश्यक प्रमाण पत्र की ''इस रसीद बुक के अन्तर्गत संग्रह की गई राशि का लेखांकन पूर्ण करने उपरान्त यह राशि परिषद निधि में जमा करवा दी है'' नहीं दिया गया था जोकि उक्त पत्र

के अन्तर्गत जारी निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है उक्त पत्र के दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए व तुरन्त प्रभाव से उक्त पत्र में उल्लेखित सभी निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना की जाए।

35 वार्षिक वेतन विवरणियों तैयार न करने के कारण देय आयकर की पुष्टि न होना :–

वेतन बिलों की जाँच में पाया गया कि वेतन से स्त्रोत पर कटौती किए जाने वाले आयकर के आंकलन के लिए वित्तीय वर्ष के अन्त में वेतन से प्राप्त आय की वार्षिक विवरणियां न तो नगर परिषद द्वारा तैयार की गई तथा न ही सम्बन्धित कर्मचारियों से प्राप्त की गई। परिणामस्वरूप वेतन से देय आयकर की पुष्टि नहीं हो सकी। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की अंकेक्षण अवधि की वार्षिक वेतन विवरणियां तैयार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 रोकड़ बही की मद्वार जाँच न करना :–

निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्याः 1–63/06–यू0डी0(ऑडिट)–खण्ड–1–12812–12861 द्वारा निर्देश दिए गए थे कि रोकड़ बही की मदवार सचिव या लेखाकार द्वारा जाँच पड़ताल की जाए लेकिन रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि उपरोक्त कार्यवाही नहीं की गई। सचिव/कार्यकारी अधिकारी द्वारा माह के अन्त में ही हस्ताक्षर किए गए थे। उपरोक्त पत्र द्वारा जारी अनुदेशों की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

37 बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना :–

नगर परिषद देहरा में व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय किया जा सके। अतः वितीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 का बजट रजिस्टर तैयार किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है।

38 व्ययों को सदन से अनुमोदित न करना :–

नियमानुसार गत माह के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय आगामी माह की बैठक में सदन से अनुमोदित करवाना अनिवार्य, लेकिन नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में किए गए व्ययों को सदन से अनुमोदित नहीं करवाया गया है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि सदन के अनुमोदन के बगैर किसी भी राशि को व्यय करना हिमाचल प्रदेश

म्यूनिसिपल अधिनियम की अवहेलना है। अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 के दौरान किए गए सम्पूर्ण व्ययों को हाऊस/सदन से अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

39 (क) टैण्डर ओपनिंग रजिस्टर का अनुरक्षण न करना :–

वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 के दौरान नगर परिषद देहरा द्वारा करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों जिन हेतु टैण्डर आमंत्रित किए गए से सम्बन्धित टैण्डर ओपनिंग रजिस्टर का अनुरक्षण नही किया गया है जोकि पारदर्शिता नियमों की गम्भीर अवहेलना है। अतः तुरन्त प्रभाव व वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 हेतु टैण्डर ओपनिंग रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) टैण्डर विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण न करना :–

वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 के दौरान नगर परिषद देहरा में करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों जिन हेतु टैण्डर विक्रय किए गए, से सम्बन्धित टैण्डर विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है जोकि पारदर्शिता नियमों की गम्भीर अवहेलना है। अतः तुरन्त प्रभाव व वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 हेतु टैण्डर विक्रय रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) प्रतिभूति रजिस्टर का अनुरक्षण न करना :–

वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 मे निम्रण कार्यों के बिलों से जो प्रतिभूति राशि काटी है। इससे सम्बन्धित प्रतिभूति रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था प्रतिभूति रजिस्टर के अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सकता कि किस कार्य के भुगतान से किस संविदाकार से कितनी प्रतिभूति राशि किस बिल से कब–कब काटी गई है व निर्धारित समयावधि उपरान्त ही वापिस की गई है। अतः प्रतिभूति रजिस्टर का अनुरक्षण न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 हेतु प्रतिभूति रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) संविदाकार वही तैयार न करने बारे :–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 तक संविदाकार वही तैयार नहीं की गई है। अतः उक्त अवधि की संविदाकार वही तैयार करने उपरान्त उसमें आवश्यक प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाएं व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) बिजली रजिस्टर तैयार न करने बारे :–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.15 तक बिजली बिलों के भुगतान से सम्बन्धित रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार बिजली रख–रखाव रजिस्टर तैयार करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

40 प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना :–

नगर परिषद देहरा द्वारा भण्डार मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष नहीं करवाया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 15.17 के अन्तर्गत स्टोर व स्टॉक का प्रतिवर्ष/प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। स्टोर व स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

41 लघु आपति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई।

42 निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठांकन संख्याः V(23)-फिन(एल0ए0डी0)खण्ड–4–417–418, दिनांकः 14.1.16 शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा 1(ख) पर वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2) सचिव, नगर परिषद देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

परिशिष्ट–''क''

नगर परिषद देहरा, जिला कांगड़ा के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1960 से 3/1962

1	पैरा 7	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/1962 से 1/1973

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1978 से 3/1982

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 17(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 21(8 बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 21(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 22	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1983

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत

(ड़) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1983 से 3/1985

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 13(ix)	अनिर्णीत
3	पैरा 13(xiii)	अनिर्णीत
4	पैरा 14(i)	अनिर्णीत
5	पैरा 14(ix)	अनिर्णीत
6	पैरा 14(xiii)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1988

1	पैरा 17(iii)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत
4	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
5	पैरा 13(x)	अनिर्णीत

6	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा 15(vi)	अनिर्णीत
8	पैरा 15(vii)	अनिर्णीत
9	पैरा 15(viii)	अनिर्णीत
10	पैरा 15(ix)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1989

1	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
4	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13(vi)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(viii)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(xvi)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(xix)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(xx)	अनिर्णीत
11	पैरा 15(iv)	अनिर्णीत
12	पैरा 15(v)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(vi)	अनिर्णीत
14	पैरा 15(ix)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1991

1	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(iii)	अनिर्णीत
8	पैरा 9	अनिर्णीत
9	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
10	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत

11	पैरा 15(16)	अनिर्णीत
12	पैरा 15(21)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(25)	अनिर्णीत
14	पैरा 15(29)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(39)	अनिर्णीत
16	पैरा 15(47)	अनिर्णीत
17	पैरा 16(i)	अनिर्णीत
18	पैरा 16(iii)	अनिर्णीत
19	पैरा 16(iv)	अनिर्णीत
20	पैरा 16(vi)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1995

1	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(ड़)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(च)	अनिर्णीत
8	पैरा 8(छ)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
12	पैरा 10	अनिर्णीत
13	पैरा 11(ड़)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(छ)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(झ)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(ट)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(ण)	अनिर्णीत
18	पैरा 11(त)	अनिर्णीत
19	पैरा 11(ध)	अनिर्णीत
20	पैरा 11(न)	अनिर्णीत

21	पैरा 11(ब)	अनिर्णीत
22	पैरा 12	अनिर्णीत
23	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
24	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत
25	पैरा 13(iv)	अनिर्णीत
26	पैरा 13(vii)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2004

1	पैरा 5(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 14(i)	अनिर्णीत
4	पैरा 14(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 14(iii)	अनिर्णीत
6	पैरा 14(iv)	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 17	अनिर्णीत
9	पैरा 20	अनिर्णीत
10	पैरा 21	अनिर्णीत
11	पैरा 22	अनिर्णीत
12	पैरा 23	अनिर्णीत
13	पैरा 24	अनिर्णीत
14	पैरा 25	अनिर्णीत
15	पैरा 26	अनिर्णीत
16	पैरा 27	अनिर्णीत
17	पैरा 28	अनिर्णीत
18	पैरा 29	अनिर्णीत
19	पैरा 30	अनिर्णीत
20	पैरा 31	अनिर्णीत
21	पैरा 32	अनिर्णीत
22	पैरा 34	अनिर्णीत
23	पैरा 36	अनिर्णीत
24	पैरा 38	अनिर्णीत

25	पैरा 42(1)	अनिर्णीत	
26	पैरा 43	अनिर्णीत	
27	पैरा 44	अनिर्णीत	
28	पैरा 45	अनिर्णीत	
29	पैरा 46	अनिर्णीत	
30	पैरा 47	अनिर्णीत	
31	पैरा 48	अनिर्णीत	
32	पैरा 49	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

1	पैरा 2(बी)	अनिर्णीत	
2	पैरा 2(सी)	अनिर्णीत	
3	पैरा 3(क)	अनिर्णीत	
4	पैरा 3(2)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(i)(ए)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4(i)(बी)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(i)(सी)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4(i)(डी)	अनिर्णीत	
9	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत	
10	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत	
11	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत	
12	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	
13	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	
14	पैरा 5(iv)(ii)	अनिर्णीत	
15	पैरा 6(i)	अनिर्णीत	
16	पैरा 7(i)	अनिर्णीत	
17	पैरा 7(ii)(1)	अनिर्णीत	
18	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत	
19	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत	
20	पैरा 8	निर्णीत	(वाऊचर नम्बर 14, दिनांक 22.7.15 के अन्तर्गत ₹3857 की वसूली की पुष्टि उपरान्त)

21	पैरा 9	अनिर्णीत

(ठ) **अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009**

1	पैरा 2(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(क)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(ख)(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(ख)(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(ग)	अनिर्णीत
8	पैरा 4(घ)	अनिर्णीत
9	पैरा 4(ड़)(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 4(ड़)(2)	अनिर्णीत
11	पैरा 4(च)	अनिर्णीत
12	पैरा 4(छ)	अनिर्णीत
13	पैरा 4(ज)	अनिर्णीत
14	पैरा 4(झ)	अनिर्णीत
15	पैरा 4(ञ)	अनिर्णीत
16	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
19	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
20	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत
21	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत
22	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत
23	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत
24	पैरा 5(ट)	अनिर्णीत
25	पैरा 5(ठ)	अनिर्णीत
26	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
27	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
28	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
29	पैरा 6(ड़)	अनिर्णीत

30	पैरा 6(च)	अनिर्णीत
31	पैरा 6(छ)	अनिर्णीत
32	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
33	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
34	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
35	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
36	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत
37	पैरा 8(क)(1)	अनिर्णीत
38	पैरा 8(क)(2)	अनिर्णीत
39	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
40	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत
41	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत
42	पैरा 8(ड़)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 13	अनिर्णीत
11	पैरा 14	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 16	अनिर्णीत
14	पैरा 17	अनिर्णीत
15	पैरा 18	अनिर्णीत
16	पैरा 19	अनिर्णीत
17	पैरा 20	अनिर्णीत

18	पैरा 21	अनिर्णीत
19	पैरा 22(i)	अनिर्णीत
20	पैरा 22(ii)	अनिर्णीत
21	पैरा 23	अनिर्णीत
22	पैरा 24	अनिर्णीत
23	पैरा 25	अनिर्णीत
24	पैरा 26	अनिर्णीत
25	पैरा 27	अनिर्णीत
26	पैरा 28	अनिर्णीत
27	पैरा 29	अनिर्णीत
28	पैरा 30	अनिर्णीत
29	पैरा 31	अनिर्णीत
30	पैरा 32	अनिर्णीत
31	पैरा 33	अनिर्णीत
32	पैरा 34	अनिर्णीत
33	पैरा 35	अनिर्णीत
34	पैरा 36(i)	अनिर्णीत
35	पैरा 36(ii)	अनिर्णीत
36	पैरा 37	अनिर्णीत
37	पैरा 38(i)	अनिर्णीत
38	पैरा 38(ii)	अनिर्णीत
39	पैरा 39	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(4)	अनिर्णीत

9	पैरा 7	अनिर्णीत	
10	पैरा 8	अनिर्णीत	
11	पैरा 9	अनिर्णीत	
12	पैरा 10	अनिर्णीत	
13	पैरा 11	अनिर्णीत	
14	पैरा 12	अनिर्णीत	
15	पैरा 13	अनिर्णीत	
16	पैरा 14	अनिर्णीत	
17	पैरा 15	अनिर्णीत	
18	पैरा 16	निर्णीत	(₹96,210 की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
19	पैरा 17	अनिर्णीत	
20	पैरा 18	अनिर्णीत	
21	पैरा 19	अनिर्णीत	
22	पैरा 20	अनिर्णीत	
23	पैरा 21	अनिर्णीत	
24	पैरा 22	अनिर्णीत	
25	पैरा 23	अनिर्णीत	
26	पैरा 24	अनिर्णीत	
27	पैरा 25	अनिर्णीत	
28	पैरा 26(क)	अनिर्णीत	
29	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत	
30	पैरा 26(ग)	अनिर्णीत	
31	पैरा 26(घ)	अनिर्णीत	
32	पैरा 26(ड़)	अनिर्णीत	
33	पैरा 26(च)	अनिर्णीत	
34	पैरा 26(छ)	अनिर्णीत	
35	पैरा 26(ज)	अनिर्णीत	
36	पैरा 26(झ)	अनिर्णीत	
37	पैरा 27	अनिर्णीत	
38	पैरा 28(क)	अनिर्णीत	

39	पैरा 28(ख)	अनिर्णीत	
40	पैरा 29	अनिर्णीत	
41	पैरा 30	अनिर्णीत	
42	पैरा 31	अनिर्णीत	
43	पैरा 32(i)	अनिर्णीत	
44	पैरा 32(ii)	अनिर्णीत	
45	पैरा 33(i)	अनिर्णीत	
46	पैरा 33(ii)	अनिर्णीत	
47	पैरा 33(iii)	अनिर्णीत	
48	पैरा 34(i)	अनिर्णीत	
49	पैरा 34(ii)	अनिर्णीत	
50	पैरा 34(iii)	अनिर्णीत	
51	पैरा 35(i)	निर्णीत	(निविदाओं की सत्यापना उपरान्त)
52	पैरा 35(ii)	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टि की सत्यापना उपरान्त)
53	पैरा 36	निर्णीत	(₹46,759 के मूल बिल की सत्यापना उपरान्त)
54	पैरा 37	अनिर्णीत	
55	पैरा 38	अनिर्णीत	
56	पैरा 39	अनिर्णीत	
57	पैरा 40	अनिर्णीत	
58	पैरा 41	अनिर्णीत	
59	पैरा 42	अनिर्णीत	
60	पैरा 43	अनिर्णीत	
61	पैरा 44(क)	अनिर्णीत	
62	पैरा 44(ख)	अनिर्णीत	
63	पैरा 45	अनिर्णीत	